एस. एस. संधवालिया और जे. एम. टंडन, न्यायमूर्ति

कृष्ण लाल और अन्य-याचिकाकर्ता
बनाम
हरियाणा राज्य- प्रतिवादी
आपराधिक विविध संख्या 3616-एम 1974 की
3 जनवरी, 1978

खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम (1954 का XXXVII)-धारा 10,11 और 16 (1) (सी)-शब्द 'धारा 16 (1) में होने वाली रोकथाम' (c)- का अर्थ-खाद्य निरीक्षक द्वारा नमूना प्रदान करने की मांग पर विक्रेता फिसल जाता है- क्या यह खाद्य निरीक्षक को नमूना लेने से रोकने के बराबर है- धारा 10 (4) के तहत मिलावटी वस्तु को जब्त करने की शक्ति-क्या यह धारा 10 (1) के तहत नमूना लेने का विकल्प है (a).

अभिनिर्धारित किया जाता है कि 'रोकता है' शब्द का सादा और सामान्य अर्थ किसी भी तरह से शारीरिक बाधा या धमकी या हमले को संदर्भित या आवश्यक नहीं करता है। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 16 (1) (ग) में प्रयुक्त इस शब्द का पृथक रूप से अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए और कोई भी अधिनियम की धारा 10 और 11 के पूर्ववर्ती और प्रासंगिक प्रावधानों को नजरअंदाज नहीं कर सकता है - इन प्रावधानों के समग्र अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि अधिनियम की धारा 10 (1) (ए) (आई) के तहत नमूना लेने में विक्रेता की उपस्थिति और भागीदारी दोनों अनिवार्य रूप से अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों द्वारा परिकल्पित हैं। इसलिए, जहां एक विक्रेता फिसल जाता है और आवश्यक कार्यवाही में पक्षपात से बचता है, खाद्य निरीक्षक को स्पष्ट रूप से कानून के अनुसार नमूना लेने से रोका जाता है। विक्रेता की अनुपस्थिति में न तो वस्तु की कीमत उसे दी जा सकती है और न ही कानून द्वारा आवश्यक नोटिस दिया जा सकता है या सीलबंद नमूनों पर विक्रेता के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान लिए जा सकते हैं।ऐसी स्थिति में खाद्य निरीक्षक को अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने से प्रभावी रूप से बाधित किया जाता है या दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसी वस्तु बेचने वाले व्यक्ति से नमूना लेना हतोत्साहित या दरकिनार किया जाता है। साधारण शब्दकोश के अर्थ को लागू करते हुए, यह इस प्रकार है कि ऐसी स्थिति में खाद्य निरीक्षक को वास्तव में और कानूनी रूप से वैधानिक प्रावधानों के अनुसार नमूना लेने से रोका जाता है। ऐसी स्थिति समान होती है जहां विक्रेता शारीरिक रूप से उपस्थित होने के बावजूद भाग लेने, सहयोग करने या कानून

के जनादेश का पालन करने से इनकार करता है।

(Paras 9 and 10)

अभिनिर्धारित किया गया कि अधिनियम की धारा 10 (4) और अधिनियम की धारा 10 (1) (क) के अधीन अभिग्रहण की शक्ति विशिष्ट और पृथक है और विभिन्न विधिक परिणामों की ओर ले जाती है। जब्त की गई वस्तुओं से बाद में केवल नमूने लेना ही वस्तु के विक्रेता से निर्धारित तरीके से नमूना लेने का विकल्प या समकक्ष नहीं है।

(Para 11)

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन याचिका में यह प्रार्थना की गई है कि खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम (1954 की संख्या XXXVII) की धारा 16 (1) (ख) के अधीन 21 अगस्त, 1974 के आदेश, अनुलग्नक पी-1 के अनुसार याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध प्रत्यर्थी द्वारा बनाए गए आरोप को निरस्त किया जाए और इस याचिका को स्वीकार किया जाए।

आगे यह प्रार्थना की जाती है कि इस माननीय न्यायालय में याचिका के लंबित रहने के दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पलवल के समक्ष आगे की कार्यवाही पर रोक लगाई जा सकती है

याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता एम. एल. सरीन।

उत्तरदाताओं की ओर से ए. जी. हरियाणा की ओर से अधिवक्ता डी. एस. बाली

न्याय

एस. एस. संधवालिया, न्यायमूर्ति

(1) खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 16 (1) (ग) में 'निषेध' शब्द पर जो सटीक अर्थ रखा जाना चाहिए, वह महत्वपूर्ण प्रश्न है जो इस आपराधिक विविध अनुप्रयोग में व्याख्या के लिए उत्पन्न होता है।

(2) यह मुद्दा न्यायिक मजिस्ट्रेट, पलवल के न्यायालय में खाद्य निरीक्षक द्वारा तीन याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही की स्थापना को रद्द करने की मांग करने वाली इस याचिका में उत्पन्न होता है। उनके खिलाफ दायर शिकायत में यह आरोप लगाया गया था कि 29 मार्च, 1974 को याचिकाकर्ता मेसर्स गुप्ता आइस फैक्ट्री, पलवल के परिसर में मौजूद थे और जब शिकायतकर्ता खाद्य निरीक्षक वहां पहुंचे तो सार्वजनिक बिक्री के उद्देश्य से बर्फ की कैंडियां उनके पास थीं। उन्होंने उसे सूचित किया कि कैंडी बनाने के लिए जगह और उपकरण एक ठेकेदार को दिए गए थे और उसे परिसर में बुलाने के झूठे बहाने पर वे तीनों एक-एक करके कारखाने से चले गए और न तो वहां लौटे और न ही कथित ठेकेदार को वहां लाया। इन आरोपों पर, खाद्य निरीक्षक ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ विवादित शिकायत दर्ज की, जिसमें उनके खिलाफ अधिनियम द्वारा अधिकृत नमूना लेने से रोकने का आरोप लगाया गया था। ट्रायल मजिस्ट्रेट ने दिनांक 27 अगस्त, 1974 के एक विस्तृत ऑस्डर के माध्यम से याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अधिनियम की धारा 16 (1) (सी) के तहत शिकायत से बना एक प्रथम दृष्टया मामला पाया, जिन्होंने तदनुसार आरोप तैयार किया था। याचिकाकर्ताओं ने आरोप के लिए दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और मुकदमे का दावा किया। हालाँकि, वर्तमान याचिका को बाद में मुख्य रूप से इस आधार पर स्थापित किया गया था कि शिकायत में लगाए गए अभियोजन पक्ष के सभी आरोपों को सही मानते हुए भी, किसी भी अपराध का खुलासा नहीं किया जाता है।

(3) वर्तमान संदर्भ में एक खाद्य निरीक्षक को नमूना लेने से रोकने के लिए क्या राशि है, इस बारे में नाजुक सवाल आवश्यक रूप से प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों के इर्द-गिर्द घूमना चाहिए। इसलिए, शुरू में ही ये विस्तार से ध्यान देने योग्य हैं। " 10. खाद्य निरीक्षकों की शक्तियाँ।–(1) एक खाद्य निरीक्षक के पास शक्ति होगी-(क) किसी भी खाद्य पदार्थ के नमूने लेने के लिए-(i) ऐसी वस्तु बेचने वाला कोई व्यक्ति; (ii) कोई भी व्यक्ति जो किसी खरीदार या माल प्राप्तकर्ता को ऐसी वस्तु पहुंचाने, देने या देने की तैयारी कर रहा है; (iii) ऐसी कोई वस्तु उसे देने के बाद एक माल प्राप्तकर्ता;

(4) यदि किसी खाद्य निरीक्षक को भोजन के लिए अभिप्रेत कोई

> वस्तु मिलावटी या गलत ब्रांड वाली प्रतीत होती है, तो वह ऐसी वस्तु को जब्त कर सकता है और ले जा सकता है या विक्रेता की सुरक्षित अभिरक्षा में रख सकता है ताकि इसे इसके बाद दिए गए प्रावधान के अनुसार निपटाया जा सके और वह किसी भी मामले में, ऐसी वस्तु का एक नमूना लेगा और उसे विश्लेषण के लिए एक सार्वजनिक विश्लेषक को प्रस्तुत करेगा।

(4) अब श्री एम. एल. सरीन का प्राथमिक तर्क यह है कि अभियोजन पक्ष के मामले को स्वीकार करते हुए भी, तीनों याचिकाकर्ताओं द्वारा झूठे बहाने पर कारखाना परिसर से केवल फिसलना और इस तरह अधिनियम के तहत कार्यवाही से बचना खाद्य निरीक्षक को नमूना लेने से रोकने के बराबर नहीं है और इसलिए, धारा 16 के तहत अपराध नहीं है। वैकल्पिक में, यह तर्क दिया गया था कि खाद्य निरीक्षक के पास धारा 10 (4) के तहत मिलावटी या गलत ब्रांड वाले भोजन को जब्त करने और ले जाने और उससे नमूने लेने की शक्ति है और इसके परिणामस्वरूप यह नहीं कहा जा सकता है कि उसे ऐसा करने से रोका गया था।

(5) उपरोक्त स्थिति के लिए भरोसा राजू, न्यायमूर्ति, गुजरात राज्य बनाम लालजीभाई चतुर्भुज के एक बहुत ही संक्षिप्त निर्णय पर रखा गया था, जिसमें यह देखा गया था कि शरारत के दायरे में आने के लिए, एक शारीरिक बाधा या धमकी या हमला होना चाहिए और केवल एक नमूना देने से इनकार करना या केवल परिसर छोड़ना रोकथाम के बराबर नहीं होगा। इसके बाद बिशन दास तेलूराम बनाम राज्य की संक्षिप्त टिप्पणियों का संदर्भ इस प्रभाव के लिए दिया गया कि केवल एक नमूना देने से इनकार करना रोकथाम के बराबर नहीं है, हालांकि, इसमें शारीरिक बाधा का तत्व होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आवश्यक रूप से कुछ ऐसा कार्य शामिल होगा जो एक निरीक्षक को नमूना लेने से रोकता है।

(6) उपर्युक्त तर्क की जांच करने से पहले और अधिकारियों ने इस पर भरोसा किया, यह ध्यान में रखना होगा कि हम एक गंभीर असामाजिक अपराध के कमीशन के खिलाफ निर्देशित एक क़ानून के साथ काम कर रहे हैं। पी. के. तेजानी बनाम एम. आर. डंगा में न्यायालय की ओर से बोलते हुए न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने इस पहलू पर निम्नलिखित शब्दों में प्रकाश डाला हैः "कानून

की केंद्रीय अवधारणा मुनाफाखोरों द्वारा बढ़ते पैंतरेबाज़ी की गंभीर पृष्ठभूमि में भोजन में मिलावट की रोकथाम है जो मिलावट के व्यापार से लोगों के स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान से लाभांश प्राप्त करना चाहते हैं। कानून की सामाजिक कठोरता और व्यापक विस्तार को इस विचार से महसूस किया जा सकता है कि एक कपटी नाव जो आंतरिक रूप से पोषण की कमी वाले राष्ट्र की जीवन शक्ति को नष्ट करती है, एक अर्थ में, हमारी सीमाओं पर आक्रामकता की एक दृश्य सेना की तुलना में एक बड़ा खतरा है और इसलिए राज्य की पुलिस शक्ति को उन लोगों के खिलाफ प्रबल कानूनों के साथ संदेहहीन समुदाय की रक्षा करने के लिए पहुंचना चाहिए जिनकी गतिविधियाँ सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा हैं। और इसलिए अधिनियम में ही न्यूनतम जेल की सजा तय की गई है।

(7) यह अब निर्माण का एक निश्चित सिद्धांत है कि एक क़ानून में उपयोग किए गए शब्द या वाक्यांश को आवश्यक रूप से उस संदर्भ से अपना रंग लेना चाहिए जिसमें इसका उपयोग किया जाता है। इसलिए, खाद्य मिलावट अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या करते समय, यदि संभव हो, तो ऐसे निर्माण से बचना चाहिए जो इसके मूल उद्देश्य को विफल या अस्वीकार कर दे।

(8) अब 'निषेध' शब्द का अर्थ निकालने में किसी को अनिवार्य रूप से इसके सामान्य शब्दकोश अर्थ का सहारा लेना चाहिए क्योंकि इसे कला के शब्द के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में इसका एक अर्थ दिया गया हैः "कुछ करने से (किसी व्यक्ति या अन्य एजेंट) को रोकना, रखना या रोकना। निराश करना, हारना, शून्य में लाना, शून्य या निरर्थक बनाना। वेबस्टर्स थर्ड न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी में, इसका अर्थ दिया गया हैः "निराश, विचलित, होने या मौजूदा विशेष रूप से बने रहने के लिए। एहतियाती उपायों द्वारा; की प्रगति, उपस्थिति या पूर्ति में बाधा।

(9) इसलिए यह स्पष्ट है कि 'रोक' शब्द का स्पष्ट और सामान्य अर्थ किसी भी तरह से शारीरिक बाधा या धमकी या हमले को इंगित या आवश्यक नहीं करता है। इसलिए, इन्हें रोकथाम के एक आवश्यक सहवर्ती के रूप में शामिल करना, मुझे पूरी तरह से अनुचित लगता है।

(10) अब धारा 16 (1) (ग) और (घ) में प्रयुक्त 'प्रतिषिद्ध' शब्द का पृथक रूप में अर्थ नहीं लगाया जा सकता है और कोई भी अधिनियम की धारा 10 और 11 के पूर्ववर्ती और सुसंगत उपबंधों को नहीं भूल सकता है। धारा 10 (1) के पूर्व-उद्धृत प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि खाद्य निरीक्षक को तीन वर्गों के व्यक्तियों से नमूने लेने का अधिकार है और सबसे पहले वह व्यक्ति है जो ऐसी वस्तु बेचता है। विक्रेता से नमूना लेने के संदर्भ में, इसलिए, धारा 10 और 11 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया और अधिनियम के तहत बनाए गए नियम तुरंत लागू हो जाते हैं। धारा 10 (3) खाद्य निरीक्षक पर एक वैधानिक कर्तव्य निर्धारित करती है कि वह विक्रेता को उस दर पर गणना किए गए नमूने की लागत का भुगतान करे जिस दर पर वस्तु आमतौर पर जनता को बेची जाती है। ज़ब्ती 11 की उपधारा (1) का खंड (क) खाद्य निरीक्षक को उस व्यक्ति को, जिससे उसने नमूना लिया है, लिखित सूचना देने के लिए बाध्य करता है। खंड (ख) तब खाद्य निरीक्षक को इस प्रकार लिए गए नमूने को तीन भागों में विभाजित करने और उसे चिह्नित करने और सील करने के बाद उस व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप लेने के लिए बाध्य करता है जिससे नमूना निर्धारित तरीके से लिया गया है। खाद्य मिलावट निवारण नियम, 1935 के संशोधित नियम 12 में यह कहा गया है कि यदि कोई निरीक्षक विश्लेषण के उद्देश्य से किसी लेख का नमूना लेता है तो वह उस व्यक्ति को फॉर्म VI में लिखित रूप में ऐसा करने के अपने इरादे की सूचना देगा जिससे वह नमूना लेता है। ऊपर निर्दिष्ट प्रपत्र VI को खाद्य मिलावट निवारण नियम, 1955 के परिशिष्ट 'ए' में रखा गया है। अतः, उपर्युक्त उपबंध को समग्र रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि धारा 10 (1) (क) (i) के अधीन नमूना लेने में विक्रेता की उपस्थिति और भागीदारी दोनों की परिकल्पना अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा की गई है। इसलिए, जब कोई विक्रेता फिसल जाता है और आवश्यक कार्यवाही में भाग लेने से बच जाता है, तो खाद्य निरीक्षक को स्पष्ट रूप से कानून के अनुसार नमूना लेने से रोका जाता है। विक्रेता की अनुपस्थिति में न तो वस्तु की कीमत उसे दी जा सकती है और न ही कानून द्वारा आवश्यक सूचना दी जा सकती है या सीलबंद नमूनों पर विक्रेता के हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप ली जा सकती है। अतः यह स्पष्ट है कि ऐसी स्थिति में खाद्य निरीक्षक को अधिनियम के प्रावधानों का पालन

करने से प्रभावी रूप से बाधित किया जाता है या दूसरे शब्दों में कहें तो एक वस्तु बेचने वाला व्यक्ति निराश या हतोत्साहित होता है। मौखिक शब्दकोश का अर्थ, इसलिए, यह ऐसी स्थिति में मैट का अनुसरण करता है, खाद्य निरीक्षक ने वास्तव में और कानून में वैधानिक प्रावधानों के अनुसार एक नमूना लेने से आयरन को रोक दिया। मेरे विचार से स्थिति भी वैसी ही होगी जहाँ विक्रेता शारीरिक रूप से उपस्थित होने के बावजूद कानून के अधिदेश में भाग लेने, सहयोग करने या उसका पालन करने से दृढ़ संकल्प से इनकार करता है।

(11) अब कोई वैकल्पिक तर्क का विज्ञापन कर सकता है कि अधिनियम की धारा 10 (4) के तहत शक्ति जब्ती के कारण, यह नहीं कहा जा सकता है कि विक्रेता द्वारा कार्यवाही से इनकार या वापसी नमूना लेने से रोकेगी। यह तर्क, मेरे विचार में, धारा 10 (1) (ए) के तहत एक विक्रेता का नमूना लेने और केवल मिलावट या गलत ब्रांड वाली वस्तुओं की जब्ती के बीच पेटेंट अंतर की दृष्टि खो देता है। दोनों चीजें अलग और अलग हैं और इससे अलग-अलग कानूनी परिणाम मिलेंगे। जब्त की गई वस्तुओं से बाद में केवल नमूने लेना ही वस्तु के विक्रेता से निर्धारित तरीके से नमूना लेने का विकल्प या समकक्ष नहीं है। यह इस उप-धारा से ही स्पष्ट है जो यह इंगित करती है कि इसकी जब्ती का उद्देश्य अधिनियम की उत्तरवर्ती उप-धाराओं (4क) और (5) और धारा 11 (4) (5) और (6) के प्रावधानों के अनुसार इससे निपटना है।

(12) सिद्धांत रूप से मामले के साथ समझौता करने के बाद, अब इस मुद्दे पर पूर्ववर्ती के स्वीकृत संघर्ष का विज्ञापन किया जा सकता है। बिशन दास तेलूराम के मामले में निर्णय का संदर्भ इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ता है कि इस मामले का विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष पर्याप्त रूप से प्रचार नहीं किया गया था और कुछ संक्षिप्त और गुप्त टिप्पणियों के साथ पहली छाप पर निर्णय लिया गया था। लालजीभाई चतुर्भुज के मामले में राजू जस्टिस की राय को बल देते हुए, सेब के ऊपर जो समान रूप से, यदि अधिक नहीं, कहा गया है (supra). बाद के निर्णय में इस व्यापक अवलोकन के लिए न तो सिद्धांत और न ही पूर्ववर्ती का हवाला दिया गया है कि शारीरिक बाधा या धमकी या हमला रोकथाम के लिए आवश्यक है और न ही मैं इस विचार को स्वीकार करने में सक्षम हूं कि विक्रेता द्वारा दृढ़ इनकार या परिसर से जानबूझकर फरार होना अपराध की शरारत के दायरे में नहीं आएगा।

सम्मान के साथ, मुझे इस दृष्टिकोण के साथ अपनी असहमति दर्ज करनी चाहिए।

(13) उपर्युक्त दो निर्णयों में बताए गए दृष्टिकोण का सीधा विरोध इसके विपरीत अधिकारियों का एक समूह है। वर्तमान मामले में तथ्यों के साथ वस्तुतः सभी चार पर नगरपालिका बोर्ड, सम्भल बनाम झम्मन लाई में खंड पीठ का निर्णय है और एक अन्य जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि विक्रेता अपनी दुकान से गायब हो जाता है, तो उसने एक खुला कार्य किया है जिसके माध्यम से उसने खाद्य निरीक्षक के लिए उससे नमूना प्राप्त करना असंभव बना दिया है और उसका कार्य अधिनियम की धारा 16 की शरारत के अंतर्गत है। वैकल्पिक तर्क कि अधिनियम की धारा 10 (4) के तहत जब्ती एक पर्याप्त विकल्प होगा, को भी उसमें प्रभावी ढंग से खारिज कर दिया गया है। बिशन दास तेलू राम के मामले (ऊपर) को स्पष्ट रूप से देखा गया और उससे असहमति जताई गई और इसके बजाय लोक अभियोजक बनाम मुरुगेसन पर भरोसा किया गया। वास्तव में, मिसाल का वजन पूरी तरह से इलाहाबाद के दृष्टिकोण के अनुरूप है। एक सुविचारित निर्णय में, जिला बोर्ड, पटना बनाम साहू साओ की खंड पीठ ने स्पष्ट शब्दों में अभिनिर्धारित किया कि विक्रेता द्वारा नमूना देने और कार्यवाही में भाग लेने से इनकार करना खाद्य निरीक्षक को नमूना लेने से रोकने के बराबर है। बिशन दास तेलूराम और लालजीभाई चतुर्भुज दोनों मामलों पर विचार किया गया और उनका पालन नहीं किया गया। जे एल रॉय बनाम नेपाल चंद्र साहा में गुवाहाटी उच्च न्यायालय की एक अन्य खंड पीठ ने भी इसी तरह का विचार रखा है।

(14) लोक अभियोजक बनाम डोरेडला रामव्वा और एक अन्य मामले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के विद्वत एकल न्यायाधीश रेड्डी न्यायमूर्ति ने अभिनिर्धारित किया है कि नमूना लेने से 'केवल साधनों को प्रभावी रूप से बाधित करने से रोकता है' और इसलिए, खाद्य निरीक्षक द्वारा निरीक्षण और दुकान को बंद करने के लिए मांगी गई वस्तु देने से इनकार करना उसे नमूना लेने से रोकने के बराबर होगा और अधिनियम की धारा 16 के तहत एक अपराध का गठन करेगा। इस न्यायालय में भी पंडित न्यायमूर्ति द्वारा गुरजित सिंह और दूसरे बनाम राज्य में लिए गए दृष्टिकोण में असहमति का संकेत स्पष्ट है।

(15) जहां तक पूर्ववर्ती के वजन का सवाल है, नगर निगम बोर्ड अपीलार्थी बनाम मलूक दास गुप्ता और अन्य प्रत्यर्थियों में निर्णय द्वारा एक विसंगत टिप्पणी को फिर से मारा गया है, जिसका बाद में नगर निगम कांसिल बनाम मंगीलाल में पालन किया गया है। मेरे विचार में इन अधिकारियों के तर्क का ऊपर देखे गए सुविचारित निर्णयों द्वारा पहले से ही पर्याप्त रूप से खंडन किया गया है। फिर भी, चूंकि जयपुर नगर परिषद का मामला समय के साथ हमारे ध्यान में लाई गई श्रृंखला का अंतिम मामला है, इसलिए इसके तर्क की संक्षिप्त रूप से लेकिन गंभीर रूप से जांच की जा सकती है।

(16) मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले का मुख्य आधार यह है कि 'इनकार' और 'रोकथाम' शब्दों के अलग-अलग अर्थ हैं क्योंकि इनकार की अंतर्निहित अवधारणा एक व्यक्ति द्वारा स्वयं एक निश्चित काम करने से इनकार करना है, जबकि रोकथाम की अवधारणा दूसरे को किसी प्रकार की बाधा या बाधा प्रदान करना है। अब यदि दोनों शब्दों को अलग-अलग देखा जाए जो मुख्य रूप से व्युत्पत्ति में एक अभ्यास है, तो शायद इस प्रस्ताव के साथ कोई विवाद नहीं हो सकता है कि 'इनकार' और 'रोकथाम' शब्द पर्यायवाची नहीं हैं। तथापि, इसमें हम खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के विशेष संदर्भ में नमूना देने के लिए विक्रेता या प्रेषक द्वारा इनकार किए जाने के तथ्यात्मक और कानूनी प्रभाव को देखने के लिए अधिक चिंतित हैं। इसलिए, यह पर्याप्त औचित्य या अवसर नहीं मिलता है कि जब अमूर्त रूप में देखा जाए तो इन दो शब्दों के अर्थ में अंतर की छाया की बारीक बारीकियों को पेश किया जा सके और उन पर बड़ा भंडार रखा जा सके। जैसा कि मुझे पहले अवलोकन करने का अवसर मिला था, एक क़ानून में एक शब्द को शून्य के रूप में नहीं माना जाना चाहिए और यह आवश्यक रूप से उस संदर्भ से अपनी छाया और रंग लेता है जिसमें उसे रखा गया है। हम यहाँ इस तरह के इनकार से होने वाले तथ्यात्मक परिणामों और कानूनी परिणाम के बारे में चिंतित हैं। यदि एक विक्रेता द्वारा वास्तविक व्यवहार में एक नमूना देने के लिए निर्धारित इनकार प्रभावी रूप से खाद्य निरीक्षक को उसी को बेचने वाले व्यक्ति से नमूना लेने में बाधा डालता है जैसा कि धारा 10 (I) (a) (I) द्वारा प्रदान किया गया है, तो इस तरह के इनकार का अपरिहार्य कानूनी परिणाम आवश्यक रूप से खाद्य निरीक्षक को क़ानून के उक्त प्रावधान के अनुसार अपनी शक्तियों का प्रयोग करने से

रोकना है। यह कानूनी परिणाम मेरे विचार में स्पष्ट रूप से धारा 16 (एल) (सी) में उपयोग किए गए 'रोकथाम' शब्द की शरारत के भीतर है और (d).

(17) उक्त निर्णय में दिए गए निष्कर्ष पर पहुंचने का एक अन्य कारण यह है कि इसमें व्याख्या एक दंडात्मक क़ानून की थी और इसके शब्दों का सख्ती से एक उदार निर्माण की वरीयता में अर्थ लगाया जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि यह अवलोकन उस अपराध की असामाजिक प्रकृति की दृष्टि खो देता है जिसके खिलाफ खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम निर्देशित किया गया है। न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर के सुरम्य शब्दों में मैंने पहले भी इस पर प्रकाश डाला है। अधिकारियों में अब वास्तव में इस बात की कमी नहीं है कि आर्थिक और असामाजिक अपराधों के खिलाफ निर्देशित कानूनों के अर्थ में उन शब्दों को एक अर्थ और सामग्री दी जानी चाहिए जो कानून के बड़े उद्देश्य में बाधा डालने वाले शब्दों के बजाय समाज के सामान्य हित को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए, मेरा विचार है कि खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम की प्रकृति के क़ानून की व्याख्या करने में एक तकनीकी और यदि मैं सम्मान के साथ ऐसा कह सकता हूं, तो एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण से बचना आवश्यक है।

(18) इस मामले में भी यह देखा गया है कि कभी-कभी अपेक्षित आचरण और आचरण के साथ इनकार का कार्य इस क़ानून के तहत रोकथाम के बराबर हो सकता है। यदि ऐसा है तो कोई व्यक्ति उस विशेष आचरण और विशेष आचरण को कैसे निर्धारित करेगा जो अधिनियम के तहत दंडनीय रोकथाम के लिए कथित रूप से निर्दोष सकारात्मक इनकार को बढ़ाएगा? सम्मान के साथ मैं कहता हूं कि इस तरह की अस्पष्ट और अलौकिक धारणाएं कानून और उसके अनुप्रयोग में अनिश्चितताओं और अस्पष्टताओं को जन्म देती हैं, जिनसे यदि संभव हो तो अच्छी तरह से बचा जाना चाहिए।

(19) तब इस निर्णय में यह मत व्यक्त किया गया है कि यदि विक्रेता की ओर से कुछ इनकार या आचरण अधिनियम की धारा 10 (1) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य निरीक्षक के लिए नमूना प्राप्त करना असंभव बनाता है तो वह निवारण के बराबर हो सकता है। इनकार की मात्रा या आचरण की प्रकृति वास्तव में क्या है जो ज्यादातर मामलों में नमूना लेना 'असंभव' मान लिया जाएगा? इस तरह के विचार फिर से एक ऐसे प्रावधान

में अमूर्त अभेद्य को पेश करते हैं जो एक ऐसे अपराध के खिलाफ बलपूर्वक हमला करने के लिए निर्देशित होता है जो समग्र रूप से समाज के कल्याण को नष्ट कर देता है।

(20) यदि उपरोक्त दो निर्णयों में प्रतिपादित दृष्टिकोण को स्वीकार किया जाता है, तो यह स्पष्ट रूप से मिलावटी भोजन के विक्रेता, वाहक या प्रेषक को अनुरोध किए जाने पर नमूना देने से इनकार करने और बेहतर के लिए अपना अवसर लेने का अधिकार देगा। यह स्मरण करने योग्य है कि अधिनियम के तहत खाद्य निरीक्षकों को किसी भी पुलिस शक्तियों के साथ नहीं पहना जाता है और न ही व्यवहार में वे हमेशा पर्याप्त बल के नियंत्रण में होते हैं (यदि उनके पास इसका उपयोग करने का कोई अधिकार है) ताकि खाद्य पदार्थों के एक अवज्ञाकारी मिलावटकर्ता द्वारा अनुपालन को मजबूर किया जा सके। इसलिए, इस तरह की व्याख्या का कानूनी परिणाम इन सभी व्यक्तियों को खाद्य निरीक्षक को अधर में छोड़कर नमूना देने के लिए कहने पर उस स्थान या परिसर से शांत रूप से पीछे हटने या फरार होने का अधिकार देगा। यह ध्यान में रखना होगा कि विक्रेता, कन्वेयर या माल प्राप्तकर्ता की अनुपस्थिति में, नमूने लिए जा सकते हैं, लेकिन वे धारा 10 (I) (a) (i) (ii) के तहत देखे गए खाद्य पदार्थों के नमूने नहीं होंगे और (iii). ऐसे व्यक्तियों की अनुपस्थिति में लिए गए नमूनों के मामलों में स्वामित्व, उत्पत्ति और जिन पर मिलावट का दायित्व पड़ता है, उसे स्थापित करने की कठिनाइयाँ बहुत स्पष्ट हैं। इस संबंध में मेरा विचार है कि एक विक्रेता, वाहक या माल प्राप्तकर्ता द्वारा नमूना देने से दृढ़ इनकार या उस स्थान से जानबूझकर या टाल-मटोल से निकासी रोकथाम के बराबर नहीं है, जो कानून के मूल उद्देश्य और उद्देश्यों को नष्ट करने की प्रवृत्ति रखता है। इसलिए, मैं इस तरह के प्रस्ताव से अपनी सम्मानजनक असहमति दर्ज करूंगा।

(21) उपर्युक्त चर्चा के आलोक में, मैं सिद्धांत और पूर्ववर्ती दोनों पर विश्वास करता हूं कि बिशन दास तेलू राम के मामले का गलत निर्णय लिया गया है और इसके द्वारा इसे रद्द कर दिया जाएगा।

(22) याचिकाकर्ता की ओर से याचिका कि अभियोजन पक्ष के आरोप पर ही कोई अपराध नहीं बनाया गया है, इस प्रकार असमर्थनीय है और इसके द्वारा

खारिज कर दिया जाता है। याचिका खारिज कर दी जाती है और मामले को शीघ्र निपटान के लिए निचली अदालत में वापस भेज दिया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

Ramneek Kaur
Trainee Judicial Officer
Faridabad